Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल.पी.एल.) का उप मुख्य अभियंता 35 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 अप्रेल, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, जोधपुर उदयपुर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये अशोक पारख उप मुख्य अभियंता गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर को परिवादी से **35 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि श्रमिकों के बिलों का भुगतान करने, बिल बनाने एवं अमानत राशि लौटाने की एवज में अशोक पारख उप मुख्य अभियंता गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल. पी.एल.) बाड़मेर द्वारा कमीशन के रूप में **36 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक पारख पुत्र श्री बच्छराज पारख निवासी मकान नं0 154, रूप रजत टाउनशिप, पाल रोड़, जोधपुर हाल उप मुख्य अभियंता गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर को परिवादी से **35 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।